तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/कोलो0/1309/2003/जैसलमेर** **चिरंजीलाल बनाम सरकार व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थितः—
श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
श्री जी0एस0 लखावत, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।
श्री शिवप्रकाश चौधरी, उप0 राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांकः—31.07.2025

1— यह निगरानी अन्तर्गत धारा 23(2) राजस्थान उपनिवेश (इंदीरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के अन्तर्गत न्यायालय आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24—02—2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2— विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी गई।

3— विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार ने दौराने बहस कथन किया कि निगराकार को आवंटन दिनांक 09—02—90 को किया गया एवम् विपक्षी द्वारा आवंटन निरस्त कराने बाबत् प्रार्थना पत्र सन् 2001 में प्रस्तुत किया गया जबकि न्याय का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि आवंटी को 10 वर्ष पश्चात् स्वतः खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के पश्चात् आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। निगराकार का आवंटन दिनांक 09—02—90 का है एवम् राजकीय सेवा में नियुक्ति स्थायीगरण दिनांक 22—04—91 को हुआ है अर्थात वक्त आवंटन निगराकार कर्मचारी नहीं था इसके बावजूद भी आयुक्त ने उक्त बिन्दु पर गौर न कर सेवारत कर्मचारी वक्त आवंटन मानकर निर्णय पारित करने में महत्वपूर्ण कानूनी भूल की है। न्याय का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि टेक्निकल ग्राउण्ड पर आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है एवं आवंटी निगराकार ने वादग्रस्त आराजी पर वक्त आवंटन से ही काबिज काश्त होकर काफी रूपये खर्चे किये है एवं अब इतनी लम्बी अवधि के पश्चात् आवंटन निरस्त किया जाना कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। निगराकार वक्त आवंटन सेवारत नहीं था एवं आयुक्त ने वक्त आवंटन सेवारत कर्मचारी मानकर निगराधीन निर्णय पारित किया है। निगराकार ने आवंटन के लिए आवेदन किया उस समय निगराकार राजकीय सेवा में नहीं था एवं उस समय तक राजकीय नियुक्ति के आदेश भी नहीं हुऐ थे। इसलिए निगराकार ने अपने आवंटन के आवेदन में जो भी जानकारी दी है वह सही है। उस समय आवेदक/निगराकार खेतीहर मजदूर था जिस कारण आवेदन कार्य में मजदूरी किया जाना अंकित किया है जो सही है। निगराकार ने किसी प्रकार का कोई तथ्य नहीं छिपाया है। राजकीय नियुक्ति के आदेश पर कनिष्ठ लेखाकार पद पर दिनांक 11—07—1988 को कार्य ग्रहण करने पर दिनांक 01—04—1991 से स्थायी किया गया। इससे स्पष्ट है कि जिस वक्त आवंटन हेतु आवेदन किया गया उस समय निगराकार न तो राजकीय सेवा में था न ही नियुक्ति के आदेश हुए। निगराकार के विरूद्ध विभागीय जांच भी समाप्त हो चुकी है। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर न्यायालय आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24—02—03 निरस्त फरमाया जावे। उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में 2001 आरआरडी पेज 126, 1997 डीएनजे (राज0) पेज 632, 1995 आरबीजे पेज 780 (एचसी), 2008 आरबीजे पेज 435, 2001 आरआरडी पेज 206 (एचसी), 1997 आरबीजे पेज 195, 1998 आरआरडी पेज

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/कोलो0/1309/2003/जैसलमेर** **चिरंजीलाल बनाम सरकार व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

456, 1993 आरआरडी पेज 596 (एससी), 1995 आरआरडी पेज 68 (एससी) के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4— इसके विपरीत विद्वान अधिवक्तागण अप्रार्थी ने अधिवक्ता प्रार्थी निगराकार के कथनों का विरोध करते हुए अभिकथन किया कि निगराकार ने भूमि आवंटन हेतु स्वयं को भूमिहीन बताते हुए प्रार्थना पत्र आवंटन अधिकारी नाचना के समक्ष दिनांक 25—01—86 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 06—07—1985 की है जबकि निगराकार ने आवंटन हेतु आवेदन दिनांक 25—01—1986 को प्रस्तुत किया था जो दिनांक 25—01—1986 को दर्ज किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र पर निगराकार ने लिखा था कि वह मजदूरी करता है, जबकि तत्समय निगराकार जोधपुर में अध्ययनरत था। निगराकार के पक्ष में दिनांक 09—02—1990 को चक 5 सीएसएम उपनिवेशन तहसील मोहनगढ नम्बर 02 के मु0नं0 85/1 के कि0नं0 10 ता 25 रकबा 16 बीघा कमाण्ड भूमि आवंटन अधिकारी एवं उपायुक्त उपनिवेशन इ0गा0न0प नाचना ने आवंटित की। निगराकार निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश संख्या 96/88 दिनांक 28—06—88 को कनिष्ठ लेखाकार पद पर उपकोष कार्यालय पोकरण में नियुक्ति के आदेश पारित किये गये थे। निगराकार द्वारा सन् 1988 में कनिष्ठ लेखाकार पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया था। उक्त आवंटन दिनांक 09—02—1990 को हुआ। इस प्रकार निगराकार ने उक्त तथ्य को छुपाते हुए की वह सरकारी सेवा में है, भूमि पर कब्जा प्राप्त कर लिया, जबकि निगराकार आवंटी 1988 में सरकारी पद ग्रहण करने के बाद भूमिहीन काश्तकार नहीं रहा। निगराकार आवंटी को आवंटन पश्चात् सूचना देना आवश्यक हो गया था कि वह सूचित करता की मैं वर्तमान में सरकारी सेवा में नियुक्त हो चुका हूं इसलिए उक्त आवंटन को निरस्त किया जावे। परंतु उनके द्वारा तथ्यों को छुपाते हुए भूमि का आवंटन करवाया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर ने अपने निर्णय दिनांक 24—02—2003 के द्वारा निगराकार आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 09—02—1990 को निरस्त कर दिया जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज फरमायी जावे। उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 2002 पेज 1 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5— हमने विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा निगराकार द्वारा प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया। अनिगराकार क्रम 02 मृतक नन्दलाल ने आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन (इ0गा0न0प क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम 22 (3) के तहत प्रस्तुत कर निगराकार चिरंजीलाल पुत्र बाबूलाल के पक्ष में दिनांक 09—02—1990 को चक 5 सीएसएम के मु0नं0 85/1 के कि0नं0 10 ता 25 में 16 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन एवं इसमें कि0नं0 25 का 1 बीघा स्माल पेच में आवंटन गलत करने से एवं आवंटी भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आने तथा आवंटन के समय वह कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्त हो गया था इस प्रकार आवंटी अधिकारी द्वारा आवंटन करते समय पात्रता की सही ढंग से जांच नहीं करने तथा आवंटन नियमों के विरूद्ध उक्त आवंटन करने से आवंटी के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने के बाबत् निवेदन किया। आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर ने निगराधीन आदेश दिनांक 24—02—2003 के द्वारा निगराकार के पक्ष में किये गये आवंटन आदेश दिनांक 09—02—1990 को निरस्त कर दिया। आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24—02—2003 से व्यथित होकर निगराकार/आवंटी ने मण्डल के समक्ष हस्गत निगरानी पेश की है। निगराकार ने अपनी निगरानी में मुख्य रूप से कथन किया

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/कोलो0/1309/2003/जैसलमेर** **चिरंजीलाल बनाम सरकार व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

है कि *''निगराकार ने आवंटन के लिए आवेदन किया उस समय निगराकार राजकीय सेवा में नहीं था एवं उस समय राजकीय नियुक्ति के आदेश भी नहीं हुए थे। इसलिए निगराकार ने अपने आवंटन के आवेदन में जो भी जानकारी दी है वह सही है। उस समय आवेदक निगराकार खेतीहर मजदूर था जिस कारण आवेदन प्रार्थना पत्र में मजदूरी किया जाना अंकित किया है जो सही है।* '' हम विद्वान अधिवक्ता निगराकार के उक्त कथन से सहमत नहीं है, क्योंकि पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने से साबित है कि आवंटन आदेश दिनांक 09–02–1990 को किया गया है, जबकि आवंटी के नियुक्ति आदेश दिनांक 28–06–1988 को हो गये थे। इस प्रकार वक्त आवंटन आदेश आवंटी सरकारी नौकरी में कनिष्ठ लेखाकार के पद पर पदस्थापित था। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों एवं राजस्थान सिविल सेवा (आचरण नियम) 1971 की शर्तों का उल्लंघन किया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आवंटी ने आवेदन के समय स्वयं द्वारा मजदूरी किया जाना अंकित किया है, जबकि आवंटी अध्ययनरत था। इसके अलावा निगराकार ने अपनी बहस में यह भी कथन किया है कि *''11 वर्ष बाद आवंटन को चुनौती दी गयी है, जबकि न्याय का सुस्थापित सिद्धांत है कि आवंटन के 10 वर्ष पश्चात् स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है।*'' हम विद्वान अधिवक्ता के उक्त कथन से सहमत नहीं है, क्योंकि मिथ्या कथनों एवं तथ्यों को छुपाकर यदि कोई आवंटन करवाया जाता है तो उसे कभी भी जानकारी होने पर खारिज किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने जो न्यायिक दृष्टांत पेश किये है वे प्रस्तुत प्रकरण में चस्पा नहीं होते है, क्योकि प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितिया एवं न्यायिक दृष्टांतों के तथ्य एवं परिस्थितियां भिन्न–भिन्न है तथा आवंटी द्वारा आवंटन तथ्यों को छुपाते हुए एवं कपटपूर्ण तरीके से करवाया गया है जिसे अधीनस्थ न्यायालय/उपायुक्त उपनिवेशन ने विधिसम्मत रूप से निरस्त किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज किये जाने योग्य प्रतीत होती है।

6– परिणामतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–02–2003 बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा)
सदस्य